श्रीमती कमलेंदु मति शाह: क्या इन्क्वायरी करने के बाद सरकार कोई ऐसा उपाय करेगी कि जिससे दूसरे साल ऐसी कठिनाई उत्पन्न न हो?

श्री करमरकर: हां हां, जरूर।

श्री भक्त दर्शन: क्या मंत्री महोदय ने इस सुझाव पर भी विचार किया है कि इस बात की कठिनाई को दूर करने का एक ही उपाय है कि चीन की सरकार के साथ तिब्बत के व्यापार के सम्बन्ध में समझौता कर लिया जाए और इस प्रकार जब तक वहां से ऊन आती रहे तब तक अपने यहां ऊन का उत्पादन बढ़ाने का प्रयत्न किया जाए?

श्री करमरकर: कठिनाई तो दूसरी है। जो ऊन यहां आया है वह पंजाब और दूसरे ठिकानों में ठहर गया है। ऊन के आने की कोई तकलीफ नहीं है।

श्रीमती कमलेंदु मति शाह: क्या सरकार को पता है कि ऊन न आने के कारण हमारा पैसा भी गया और हमारी आमदनी भी नहीं हुई?

श्री करमरकर: पैसे गए होंगे तो व्यापारियों की गलती से गए होंगे। इसका पता हमको नहीं है। ऊन तो यहां काफी है और आगे भी हो जाएगी ऐसी हमारी अपेक्षा है।

श्रीमती कमलेंदु मति शाह: जो ऊन आती थी वह नहीं आई, इसलिए हमारे यहां लोगों को बड़ा घाटा हुआ है?

श्री करमरकर: अब पहले से ही ठीक इन्तजाम हो जाएगा।

Supply of Water to Pakistan

***611. Sardar Akarpuri:** Will the Minister of **Irrigation and Power** be pleased to state:

(a) when the contract with Pakistan pertaining to supply of canal-water will terminate;

(b) whether the water of Upper Bari Doab Canal will be totally reserved for Punjab or it will be distributed to other States also; and

(c) if so, to which States?

The Deputy Minister of Planning (Shri S. N. Mishra): (a) Presumably the reference is to the Inter-Dominion Agreement of the 4th May 1948. This agreement remains in force until a fresh agreement is reached as a result of the negotiations now going on between India and Pakistan under the good officers of the International Bank for Reconstruction and Development.

(b) and (c). The water now being given to Pakistan from the Upper Bari Doab Canal, when withdrawn progressively, will be utilised for the underdeveloped areas in the Punjab, Rajasthan, P.E.P.S.U. and Jammu & Kashmir States.

सरदार अकरपुरी: क्या मैं जान सकता हूं कि नहर के साथ साथ ट्यूब वैल लगा कर भी उसमें पानी बढ़ाने की तजवीज कोई है, और अगर है तो कब तक?

श्री एस० एन० मिश्र: यह सवाल तो इससे उठता नहीं है।

Meeting of Regional Settlement Commissioners

***612. Shri T. B. Vittal Rao:** Will the Minister of **Rehabilitation** be pleased to state:

(a) whether a meeting of the Regional Settlement Commissioners was held recently; and

(b) if so, the decisions arrived at in the meeting?

The Deputy Minister of Rehabilitation (Shri J. K. Bhonsle): (a) Yes.

(b) The meeting was not expected to take decisions. The recommendations of the meeting are under consideration of the Ministry.

Shri T. B. Vittal Rao: May I know whether one of the subjects considered at this meeting was the finalisation of the draft rules framed under the Displaced Persons (Compensation and Rehabilitation) Act, 1954, and if so, whether the same has been finalised?